न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या 53/2012

वादी

1.मन्दिर रूघनाथ जी लोटण जी का बाड़ा,डीडवाना बएतमाम पुजारी– रामेश्वरदास चेला पूर्णदास स्वामी, डीडवाना जिला नागौर राजस्थान

A 1/15

प्रतिवादी

1.रामकरण पुत्र शिवदयाल जाति ब्राहम्ण ,निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी

दावा –बाबत स्थाई निषेधाज्ञा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री हरदेवसिंह चौधरी अधिवक्ता,वादी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30/9/15

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी मन्दिर श्री रूघनाथ जी वाके लोटण जी बाड़ा,गाढ़ाधाम, डीडवाना का पूजारी है जो भगवान श्री रूघनाथर जी लोटण जी का बाड़ा गाढ़ाधाम की शाश्वत सेवा पूजा करता है । वक्त जागीरदारी के सम्वत् 1925 में ठिकाना मारोठ के तत्कालीन जागीरदारो ने अपनी जागीर के ग्राम पलाड़ा में बेरा 1 खेड़िया वालो मय जाव के ठाकुर जी रूघनाथ जी बाबोजी लोटण जी महाराज के मन्दिर की योग सामग्री सारू भेंट किया, जिसकी लिखापढ़ी की छाया प्रति वाद के साथ में प्रस्तुत की है । वादी मन्दिर को योग सामग्री के लिए भेंट की गई कृषि भूमि व बैरा वर्तमान खसरा नम्बर 346 रकबा 01.39 हैक्टर बारानी, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 418 रकबा 1.33 हैक्टर बारानी खसरा नम्बर 498 रकबा 1.08 हैक्टर बारानी कुल रकबा 03.81 हैक्टर वाके ग्राम पलाड़ा वादी मन्दिर श्री ठाकुर जी के नाम से खातेदारी में अंकित है । उक्त शाश्वत मन्दिर श्री रूघनाथ जी लोटण की बाड़ा वादी की खातेदारी की भूमि की सार सम्भाल,देखभाल,प्रबन्ध आदि पुजारी करता आया है । मन्दिर की भूमि में से 346 रकबा 01.39 हैक्टर बारानी, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 418 रकबा 1.33 हैक्टर बारानी वाके सरहद पलाड़ा पर वादी के सेवारत पुजारी की ईजाजत से प्रतिवादी काश्त करता आया है और मन्दिर को भोग सामग्री पेटे उपज का आधा बंट पहुंचाता रहा है । गत वर्ष की सावणू उपज का बान्टा वादी मन्दिर श्री रूघनाथ जी लोटण जी बाड़ा बाढ़ाधाम डीडवाना को प्रतिवादी ने नही पहुंचाया, तब गत सप्ताह वादी मन्दिर श्री रूघनाथ जी का सेवारत पुजारी उक्त मन्दिर 346 रकबा 01.39 हैक्टर बारानी, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 418 रकबा 1.33 हैक्टर बारानी वाके सरहद पलाड़ा गया, वहॉ भोग सामग्री पहुंचाने बाबत कहा तो प्रतिवादी ने भोग सामग्री हेतु उपज का बांटा देने से इन्कार कर दिया । तब वादी मन्दिर श्री रूघनाथ जी लोटण जी का बाड़ा डीडवाना ने प्रतिवादी को मन्दिर के खेत मं इस साल की सावणू फसल करने कराने से मनाकिया । तो प्रतिवादी ने खुले आम कहा कि खेत मैं ही काश्त करूंगा,किसी अन्य को काश्त नही करने दूंगा । इस धमकी प्रतिवादी से वादी मन्दिर श्री रूघनाथ जी लोटण जी बाड़ा बाढ़ाधाम डीडवाना का अजहद नुकसान होगा । कई प्रकार की मुकदमे बाजी होगी । प्रतिवादी को मन्दिर की भूमि मं जबरन काश्त करने कराने का कोई हक अधिकार नही है । इसलिए वादी को वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का लाना आवश्यक हुआ । बिनाय दावा प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि में जबरन काश्त करने की धमकी देने से बमुकाम पलाड़ा पैदा हुआ । वादी की इस्तदुआ है कि वादी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्व इस अगर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वादी मन्दिर श्री रूघनाथ जी लोटण जी बाड़ा बाढ़ाधाम

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

A 2/16

डीडवाना को भोग सामग्री हेतु वक्त जागीर के भेंट में प्राप्त कृषि भूमि मे से वादी मन्दिर की खातेदारी के खातेदारी के खेत 346 रकबा 01.39 हैक्टर बारानी, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 418 रकबा 1.33 हैक्टर बारानी वाके सरहद पलाड़ा में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी,हस्तक्षेप अथवा काश्त न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य किसी अपने ऐजेन्ट से करवायें ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत नही कर नोट प्रेस किया। वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबन्दी सम्वत 2065–68 की नकल,नक्शा ट्रेस की छाया प्रति,रजिस्टर्ड वसीयत की छाया प्रति प्रस्तुत की । वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वादी द्वारा वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस पर मनन किया गया । प्रश्नगत भूमि ग्राम पलाड़ा के खसरा नम्बर 346,417,418,498 कुल रकबा 3.81 हैक्टर भूमि मन्दिर श्री रूघनाथ जी वाके देह खातेदार दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि को प्रतिवादी को आधा हासल बांटे पर पुजारी वादी ने संभला रखी थी, तत्पश्चात पिछले वर्ष प्रतिवादी द्वारा हासल एवं बांटा दिये जाने से इन्कार करने पर बिनाय दावा ग्राप पलाड़ा में पैदा हुआ । प्रतिवादी ने वादी पुजारी को धमकी दी है कि वह उक्त भूमि को स्वयं उपयोग में लेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को काश्त नही करने देगा । उक्त प्रश्नगत भूमि मन्दिर के नाम दर्ज चली आ रही है जिसमे प्रतिवादी का कोई लेना–देना नही है । वादी किसी अन्य से हांसल पर काश्त कराकर मन्दिर की सेवा–पूजा करता है । जिससे प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही करने के लिऐ स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है । प्रतिवादी द्वारा वाद में किसी प्रकार का जवाब पेश नही करना अपने आप मे साबित है कि प्रतिवादी उक्त भूमि में किसी न किसी प्रकार से हस्तक्षेप करता आ रहा है । अतः वाद वादी काबिल डिक्री योग्य पाये जाने से निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है ।

आदेश

प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम पलाड़ा के खसरा नम्बर 346 रकबा 01.39 हैक्टर बारानी, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 418 रकबा 1.33 हैक्टर बारानी में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे तथा न ही अपने आदमी या ऐजेन्ट से करवाये । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें । तहसीलदार कुचामनसिटी को उक्त आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो ।

आदेश आज दिनॉक 30/08/15 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)